राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / एटी / प03 / 2022 / 332 दिनांक : 16 / 05 / 2023

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर,
जयपुर (राजस्थान)।

विषय : चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों पर सीधी भर्ती के क्रम में।

---- : : ---- : : ----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों पर सीधी भर्ती के क्रम मे विज्ञप्ति की अर्थना संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः अर्थना में अंकित अनुसार चिकित्सा अधिकारी (दन्त) की नियुक्ति हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति अपने स्तर से जारी कर पात्र व योग्य अभ्यर्थियों की सूचि भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न : **चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों की अर्थना**

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / एटी / प0 3 / 2022 / 332 दिनांक : 16 / 05 / 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

–: चिकित्सा अधिकारी दन्त के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु अर्थना/विज्ञप्ति :–

क्रमांकः– संस्था/चि.अ./ए.टी./वि.भ./प3/2023/331 दिनांक : 16/05/2023

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी दन्त के 172 रिक्त पदों को स्थाई रूप से भरने हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अन्तर्गत दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर उपयुक्त अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पदों की कुल रिक्तियां – 172

वर्ग	पदों की संख्या	सामान्य	Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये (5%)	महिला		
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता
अनारक्षित वर्ग	64	42	3	13	5	1
आर्थिक कमजोर वर्ग	17	12	-	4	1	0
पिछडा वर्ग	36	25	1	7	3	0
अनुसूचित जाति	27	18	1	6	2	0
अनुसूचित जनजाति	20	13	1	5	1	0
एम.बी.सी.	8	6	-	2	0	0
विशेष योग्यजन (4%)	07					

नोट :– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकेगी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसरण में अभ्यर्थी को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जावेगा।

विशेष जन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लियेः–

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली 4 जनवरी 2021

S.NO.	Designation	Functional Requirments	Suitable category of Benchmark Disabilities	Nature of work performed	Working Condition/Remarks
493.	Medical Officer	S, ST, W, BN, MF, RW, SE, H, C	a) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV b) SLD c) MD involving (a) to (b) above	Counseling Perform surgical operations, diagnosis of patients, Prescribe med., Record keeping, case paper preparation and updating, medical checkup of employees, assist specialist doctors, referring cases to specialist patients and family members, liaisoning with hospital, blood banks, medical officers, and other govt. officers, Counseling employees of specials cases, Absentee Ineptness, Bad habits, Organinzing awareness programme, Visiting employees at work and also at homes	Incumbent should be considered with aids & appliances. Bilateral hand activities should be adequate.

OA=One Arm, OL=One Leg, BL=Both Leg, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, SLD=Specific Learning Disability, MD=Multiple Disabilities

(अ) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यार्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(ब) आवेदन–पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विकलांग) का उल्लेख करे तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 19.11.2015 में जारी दिशा–निर्देशों एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2019 एवं 10.08.2022 की पालना की जानी है।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों मे से 8% पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2% पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होने पर इन्हें उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितयों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से नही भरा जावेगा। पिछडी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध नही होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

अनिवार्य योग्यता : बी0डी0एस0. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ03(7)डीओपी/ए–।।/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार। **राजस्थान डेंटल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।** रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाये जाने से पूर्व अभ्यार्थियों का राजस्थान डेन्टल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावे व पीजी अध्ययनरत चिकित्सकों को नियुक्ति की दिनांक तक पीजी पूर्ण होने वाले अभ्यार्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, की शर्त का विज्ञप्ति में उल्लेख किया जावे।

योग्यताएं/अनुभव अधिमान्य (हिन्दी) में : "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान"

पद का वेतनमान : 15600–39100 (पे बैंड 3) (ग्रेड–पे सं0 14, 5400/–) में दो वर्ष तक परिवीक्षा काल में राशि रूपये 39,300/– प्रतिमाह देय होगा।

आयु (क) आयु सीमा– न्यूनतम एवं अधिकतमः– 22 वर्ष न्यून्तम एवं 45 वर्ष अधिकतम।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः–

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गतः–

(i) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(2)कार्मिक/क–2/93 पार्ट दिनांक 25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(2)कार्मिक/क–2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

(iii) Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट II दिनांक 12.12.2022 व दिनांक 27.02.2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना

(iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नही है।

(v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2018 को आर0यू0एच0एस0 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसलिये अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नही होगी।

(vi) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 16/04/2019 के अनुसरण में राजस्थान के आर्थिक पिछडा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:– चिकित्सा संबंधित कार्य

मुख्यालय : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 22'ए' में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान राज्य के अधीन किसी भी चिकित्सा केन्द्र जहां पद सृजित है।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित तिथि तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए–।।/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना लिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरूष/महिला अभ्यार्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इस नियुक्ति के पात्र नही होगे। जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नही होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 3/2024/112 दिनांक 20/03/2024

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर,
जयपुर (राजस्थान)।

विषय : चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों की भर्ती की अर्थना के संबंध में।
संदर्भ : आपका पत्र कमांक 49807 दिनांक 19.03.24 के कम में।

—— : : —— : : ——

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि निदेशालय के पत्र कमांक 332 दिनांक 16.05.23 के साथ अर्थना कमांक 331 दिनांक 16.05.23 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 172 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना भिजवाई गई। जिसमें भिजवाई गई अर्थना की शर्तो में निम्नानुसार संशोधन पढा जावें:–

विवरण	पूर्व में भिजवाई गई अर्थना की शर्त का विवरण	अर्थना में की शर्त में संशोधन
अनिवार्य योग्यता:–	बी0डी0एस0 कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ03(7)डीओपी/ए–।।/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार। राजस्थान डेंटल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाये जाने से पूर्व अभ्यार्थियों का राजस्थान डेन्टल कौंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावे व पीजी अध्ययनरत चिकित्सकों को नियुक्ति की दिनांक तक पीजी पूर्ण होने वाले अभ्यार्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, की शर्त का विज्ञप्ति में उल्लेख किया जावे।	बी0डी0एस0 कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ03(7)डीओपी/ए–।।/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार परीक्षा तिथि तक राजस्थान डेंटल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
अधिकतम आयु सीमा में छुट:–	कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 16.04.2019 के अनुसरण में राजस्थान के आर्थिक पिछडा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।	कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 16.04.2021 के अनुसरण में राजस्थान के आर्थिक पिछडा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

नोटः– प्रोबेशन पूर्ण होने पश्चात् ही PG हेतु Apply कर सकेंगे, इस संबंध में कार्मिक विभाग के कमांक पं. 8(3)कार्मिक/क–2/73 पार्ट जयपुर, दिनांक 24.03.22 के द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, की प्रति संलग्न है।

अतः भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा भर्ती के संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 3/2024/112 दिनांक 20/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर